



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (कक्ष संख्या-6) बलरामपुर

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-637/2026

सी०एन०आर० संख्या-UPBP010017672026

(रजिस्टर संख्या-442/2026)

शमीम प्रति उ०प्र०राज्य

मुकदमा अपराध संख्या-403/2010

धारा-460, 411 भा०द०सं०

थाना-कोतवाली नगर, जिला-बलरामपुर

02.06.2026

1. प्रार्थी/किशोर अपचारी शमीम पुत्र मकीर निवासी ग्राम अमवा जौहर, थाना रिसिया, जनपद बहराइच द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका माता स्वयं जैतुननिशां पत्नी मकीर निवासी ग्राम अमवा जौहर, थाना रिसिया, जनपद बहराइच ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा-482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मय शपथपत्र मुकदमा अपराध संख्या-403/2010 अन्तर्गत धारा-460/411 भा०द०सं०, थाना-कोतवाली नगर, जिला-बलरामपुर में प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा रामफेर यादव राम जानकी मन्दिर ग्राम कटरा शंकरनगर की जमीन की खेती बटाई पर जोतता-बोता था। राम जानकी मन्दिर के महन्त बाबा वीरेन्द्र दास जो मूल रूप से बिहार (पटना) के रहने वाले हैं यहां मन्दिर अयोध्या के विद्या कुण्ड मन्दिर से जुड़ा है। रात में रोजाना की तरह बाबा वीरेन्द्र दास मन्दिर के छत पर लकड़ी की चौकी पर सोये हुए थे मन्दिर पर सुबह आठ बजे करीब वह बहराइच से आया तब देखा कि बाबा नहीं हैं, छत पर चढ़कर देखा तो बाबा खून से लथपथ चौकी पर मरे पड़े हैं। लगता है किसी ने बाबा वीरेन्द्र दास की गला दबाकर व चोट पहुंचा कर हत्या कर दी है। बाबा वीरेन्द्र दास की लाश छत पर पड़ी हुई है।
3. प्रार्थी/किशोर अपचारी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (ई०सी०एक्ट) को सुना तथा केसडायरी का अवलोकन किया।
4. प्रार्थी/किशोर अपचारी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी /किशोर अपचारी पूर्व से माननीय सत्र न्यायालय से जमानत पर रिहा है। पत्रावली पर दाखिल जमानतनामा व आदेश के आलोक में उचित आदेश व कार्यवाही हेतु प्रार्थी/किशोर अपचारी द्वारा न्यायालय श्रीमान प्रधान मजि० किशोर न्याय बोर्ड महोदय बलरामपुर को दिनांक-07.04.2026 को लिखित प्रार्थना पत्र मौखिक निवेदन के साथ दिया गया था। जिस आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न अग्रिम प्रार्थना पत्र जमानत है। जिसकी अनसुनी करके प्रार्थी/किशोर अपचारी को पुनः जमानत प्रार्थना पत्र देने व सुनवायी के समय कस्टडी में लेने की बात कही गयी। जिसकी वजह से प्रार्थी/किशोर अपचारी श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दे रहा है। मुकदमा उपरोक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा-302 आई०पी०सी० अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। जिसमें प्रार्थी /किशोर अपचारी नामजद अभियुक्त नहीं है। दौरान विवेचना पुलिस द्वारा धारा 302 भा०द०सं० के धारा-460/411 आई०पी०सी० में तरमीम किया गया है। फर्जी बरामदगी के आधार पर प्रार्थी/किशोर अपचारी को उसके घर से पकड़कर मुकदमें में फर्जी फंसाया गया है। प्रार्थी/किशोर अपचारी के मुकदमा उपरोक्त का पूरा सत्र परीक्षण मुकदमें के शेष सभी सहअभियुक्तगणों के साथ माननीय सत्र न्यायालय द्वारा किया जा चुका है तथा प्रार्थी/किशोर अपचारी का धारा-313 सीआर०पी०सी० का बयान भी अन्य सहअभियुक्तगणों के साथ दिनांक-13.01.2025 को माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अंकित किया जा चुका है। मुकदमा उपरोक्त में धारा-313 सीआर०पी०सी० बयान अंकित होने के बाद प्रार्थी/किशोर अपचारी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक-15.01.2025 को प्रार्थी/किशोर अपचारी की पत्रावली मूल पत्रावली से पृथक कर माननीय सत्र न्यायालय द्वारा बावत आवश्यक कार्यवाही हेतु न्यायालय श्रीमान प्रधान मजि० किशोर न्याय बोर्ड महोदय बलरामपुर के समक्ष प्रेषित की गयी है। मुकदमा उपरोक्त में, शेष सभी सहअभियुक्तगण को बहस सुनने के बाद गुणदोष के आधार पर न्यायालय माननीय अपर सत्र

न्यायाधीश महोदय कक्ष सं0-6 बलरामपुर द्वारा दिनांक-30.06.2025 को दोषमुक्त किया जा चुका है। मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी/किशोर अपचारी बिल्कुल निर्दोष एवं बेगुनाह है। मुकदमा उपरोक्त की कथित घटना से उसका कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। महज उसे रंजिशन पुलिस द्वारा उसके घर से पकड़कर मुकदमें में फर्जी कथानक के आधार पर फंसाया गया है। उक्त बातों की पुष्टि निर्णय दिनांक - 30.06.2025 से होती है। मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी/किशोर अपचारी की भूमिका सहअभियुक्तगण के समान है। मुकदमा उपरोक्त में परीक्षण के दौरान प्रार्थी/किशोर अपचारी व अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन पक्ष कोई ठोस सबूत माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका है। प्रार्थी/किशोर अपचारी परीक्षण हेतु बराबर माननीय सत्र न्यायालय में उपस्थित आता रहा है तथा परीक्षण में पूरा सहयोग करता रहा है। वैसे ही वह न्यायालय श्रीमान प्रधान मजि० किशोर न्याय बोर्ड महोदय बलरामपुर के समक्ष उपस्थित आता रहेगा तथा परीक्षण में पूरा सहयोग करता रहेगा। मुकदमा उपरोक्त में दौरान परीक्षण प्रार्थी/किशोर अपचारी की देश छोड़कर कहीं अन्यत्र भाग जाने की सम्भावना नहीं है। वह बाल-बच्चे वाला पारिवारिक सदस्य है। क्षेत्र व समाज में उसकी स्वच्छ छवि है। प्रार्थी/किशोर अपचारी अपनी प्राप्त अग्रिम जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी/किशोर अपचारी न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत की शर्तों का अक्षरशः पालन करेगा। अतः प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाय।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (ई०सी०एक्ट) ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया तथा इस आशय का तर्क दिया कि प्रार्थी/किशोर अपचारी ने अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर राम जानकी मन्दिर के महन्त बाबा वीरेन्द्र दास की हत्या कारित कर दी एवं मन्दिर में रखी मूर्तियों की चोरी कर ली। अतः उक्त आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया दर्शित है कि प्रार्थी/किशोर अपचारी पर यह आरोप है कि प्रार्थी/किशोर अपचारी द्वारा अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर राम जानकी मन्दिर के महन्त बाबा वीरेन्द्र दास की हत्या कर मन्दिर में रखी मूर्तियों की चोरी कर ली। प्रार्थी/किशोर अपचारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त मामले के सहअभियुक्तगण को इसी न्यायालय द्वारा मामले के विचारण के उपरांत गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया है, प्रार्थी की पत्रावली धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान अंकित होने के बाद पृथक की गयी है। चूंकि मामले के अन्य सहअभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा चुका है एवं प्रार्थी की भूमिका उन्हीं के समान है ऐसे में वह अग्रिम जमानत पाने का अधिकारी है।

7. अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, प्रार्थी/किशोर अपचारी को सशर्त अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है।

तदनुसार प्रार्थी/किशोर अपचारी के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

यदि प्रार्थी/किशोर अपचारी शमीम को पुलिस गिरफ्तार करती है, तो उसे प्रकरण में संबंधित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अधीन स्वबन्धपत्र, उसी धनराशि के एक प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन उसे अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किया जाए-

1-प्रार्थी/किशोर अपने स्तर से प्रकरण के विचारण में कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा।

5-प्रार्थी/किशोर अपचारी न्यायालय द्वारा नियत तिथियों, विचारण व निर्णय आदि की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होते रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

6-प्रार्थी/किशोर अपचारी निष्पादित बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।

7-प्रार्थी/किशोर अपचारी उस अपराध, जिसको करने का उसपर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

8-प्रार्थी/किशोर अपचारी मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

(प्रदीप कुमार-तृतीय)

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एम०पी०/
एम०एल०ए०एक्ट, बलरामपुर।

IDNo:UP1591